महानगर कल्याण मण्डप,
(नगर निगम लखनऊ द्वारा संचालित)

आवेदन पत्र का क्रम सं.........6843........ **आवेदन पत्र का मूल्य 10/–**

विषय : महानगर कल्याण मण्डप आवंटन के सम्बन्ध में।

1. आवेदक का नाम :...

2. पूरा पता टेलीफोन नम्बर सहित :...

....

3. आवेदन की तिथि :...

4. आरक्षण की तिथि :...
(जिस दिन कार्यक्रम होना है)

5. आरक्षण का प्रयोजन :...

6. आरक्षण किसके लिए व किस प्रयोजन हेतु :..

7. आरक्षण का प्रकार...

सामान्य / नगर निगम कर्मचारी /
मा. महापौर जी / पार्षद

मैंने कल्याण मण्डप महानगर की नियमावली एवं शर्तों को भलीभांति पढ़ लिया है। इस आवेदन पत्र के साथ रू. 2000/– की जमानत राशि चेक/ड्राफ्ट सं.................................दिनांक.................................द्वारा जमा कर रहा हूँ, आवंटन के पश्चात निर्धारित किराया तत्काल जमा कर दूंगा। आरक्षण न होने की दशा में जमानत राशि 7 दिन के अन्दर वापस ले लूँगा। टूट–फूट या किसी प्रकार की क्षति होने की दशा में जमानत राशि में यथावश्यक कटौती या उसे पूरा जब्त करने का पूर्ण अधिकार नगर निगम का होगा।

आवंटी के हस्ताक्षर

नियमावली

1. मण्डप परिसर का आरक्षण प्रथम आगम, प्रथम सेव्य (First come - First Serve) के आधार पर होगा। महानगर के उपरोक्त तीनों वार्डों क्रमशः महानगर, चाँदगंज, विवेकानन्दपुरी के स्थायी निवासी अपने पारिवारिक समारोहों के लिए आरक्षण हेतु समारोहों की तिथि से दो महीने के भीतर निर्धारित फार्म पर आवेदन पत्र दे सकते हैं जबकि अन्य लोग समारोह की तिथि से एक महीने पूर्व आवेदन दे सकेंगे। उक्त समय से पूर्व दिये गये आवेदन पत्र कार्यालय में नहीं लिये जायेंगे।
2. मण्डप–परिसर का आरक्षण शुल्क एक दिन (10.00 बजे प्रातः से दूसरे दिन 10.00 बजे प्रातः तक) के लिए रु. 4,000/– (रुपया चार हजार मात्र) होगा।
3. आरक्षण शुल्क के अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि (Security Money) रु. 2000/– (रु० दो हजार मात्र) प्रतिदिन के हिसाब से जमा करनी होगी जो समारोह सम्पन्न होने के सात दिन पश्चात प्रभारी कल्याण मण्डप की रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण अथवा किसी क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति के पश्चात अवशेष धनराशि अपर नगर आयुक्त (लेखा) की स्वीकृति के बाद वापस की जायेगी।
4. समारोह के फलस्वरूप खर्च हुए बिजली व्यय का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा। जो विद्युत मीटर रीडिंग की दर से देय होगा। मीटर खराब होने की दशा में 24 घंटे का चार्ज रु. 200/– अधिकतम आवंटी से लिया जायेगा।
5. एक व्यक्ति को लगातार तीन दिन से अधिक का आरक्षण स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रबन्धन समिति द्वारा आरक्षण स्वीकृत होने पर आवेदनकर्ता को आरक्षण शुल्क की रु० 4000/– धनराशि एकाउण्टपेयी चेक द्वारा तत्काल जमा करने के लिए सूचित किया जाएगा और कल्याण मण्डप के बैंक खाते में चेक इनकैशमेंट के बाद ही आरक्षण की औपचारिक स्वीकृति जारी की जाएगी।
7. लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के प्रस्तावनानुसार निगम के अधिकारी व कर्मचारी स्वयं के लिए अथवा अपने पुत्र, पुत्री तथा पौत्र, पौत्री से सम्बन्धित समारोह हेतु निर्धारित आरक्षण शुल्क का मात्र 10 प्रतिशत शुल्क जमा करेंगे। आरक्षण प्राप्त करने के अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगे। यही प्रक्रिया मा० महापौर/पार्षदों के लिए भी लागू मानी जायेगी।

टिप्पणी : ऊपर लिखित सुविधा तभी तक मान्य रहेगी जब कि अधिकारी व कर्मचारी निगम की सेवा में कार्यरत है। उपरोक्त सम्बन्धों के सत्यापन हेतु आवेदनकर्ता अपने विभाग प्रमुख से प्रमाणित करायेंगे तथा समारोह हेतु छपे आमंत्रण पत्र की प्रति भी संलग्न करेंगे। मा० पार्षदों के मामले में मा० महापौर द्वारा आवेदन पत्र प्रमाणित होना चाहिए।

8. जिन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को कल्याण मण्डप आवंटित किया जायेगा, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने कार्यक्रम के दौरान मण्डप प्रांगण में लाउडस्पीकर का प्रयोग न करें। मण्डप–हाल के अन्दर धीमी गति से माइक का उपयोग करें ताकि निकटवर्ती क्षेत्र के निवासियों को रात्रि के समय किसी प्रकार की कोई असुविधा या परेशानी न हो।
9. किसी अपरिहार्य अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में स्वीकृत आरक्षण मा० महापौर/नगर आयुक्त द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पूर्ण आरक्षण शुल्क एवं प्रतिभूति धनराशि आवंटी को वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम अथवा कल्याण मण्डप किसी प्रकार का हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
10. यदि किन्हीं कारणों से आवंटी स्वयं स्वीकृत आरक्षण का निरस्तीकरण चाहता है तो आरक्षण धनराशि का प्रतिदान निम्नानुसार किया जायेगा :

1. आरक्षण तिथि से 15 दिन अथवा उससे पूर्व	75 प्रतिशत
2. आरक्षण तिथि से 7 दिन अथवा उससे पूर्व	50 प्रतिशत
3. आरक्षण तिथि से एक दिन पूर्व	10 प्रतिशत

11. यदि आवंटी पूर्व स्वीकृत आरक्षण तिथि में परिवर्तन चाहता है और यदि इच्छित तिथि पर मण्डप उपलब्ध है तो ऐसा 1000/– अतिरिक्त शुल्क जमा करने पर किया जाएगा।
12. कल्याण मण्डप में आवंटियों की सुविधा की दृष्टि से टेण्ट, लाईट व साउण्ड हेतु तीन–तीन टेण्ट वालों का एक पैनल है, जिनका न्यूनतम दर के आधार पर निविदा मांगकर पैनल बनाया गया है। आवंटी इनमें से किसी भी एक से अपने इच्छानुसार टेण्ट, लाईट व साउण्ड की व्यवस्था करा सकता है। यदि आवंटी के मांग की पूर्ति पैनल में अधिकृत टेण्ट दाता नहीं कर पाते हैं तो आवंटी कहीं से भी टेण्ट की व्यवस्था कर सकता है।
13. पैनल में अधिकृत टेण्ट वाले जो भी स्वीकृत दर के अनुसार धनराशि आवंटी से प्राप्त करेंगे उसकी रसीद आवंटी को देंगे एवं उसका 10 प्रतिशत धनराशि कल्याण मण्डप कोष में जमा करेंगे।

आज्ञा से
नगर आयुक्त